न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 237 / 2022	2022 / 393	09.09.2022	14.11.2022

—उनवान—

1. महेश सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महनपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र सावंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महनपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
2. इन्दर सिंह पुत्र बालू सिंह राजपूत
3. सुरेश सिंह पुत्र श्योपाल सिंह राजपूत
4. अंगूरी देवी पुत्री शीशपाल सिंह राजपूत
5. चिडिया देवी पत्नी ख्यालीराम गुर्जर
6. दलीप सिंह पुत्र महावीर सिंह राजपूत
7. पूनम पुत्री सुमेर सिंह राजपूत
8. रामोतार सिंह पुत्र शीशपाल सिंह राजपूत
9. सुगना देवी पत्नी महावीर सिंह राजपूत
10. ओमी सिंह पुत्र शीशपाल सिंह राजपूत निवासीयान ग्राम महनपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01.श्री जितेन्द्र गोपालिया **—वकील प्रार्थी**
02.श्री जनार्दन शर्मा **—वकील अप्रार्थी नं 1, 8, 10**

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सरकार बनाम विक्रम सिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि विक्रम सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक परिवाद पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1320, 1327, 1332, 1334, 1336, 1339, 1340, 1404, 1407, 1409, 1411, 1414, 1418, 1422, 1423 वाके ग्राम महनपुर तहसील बानसूर जिला अलवर अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही हेतु पेश किया। जिसकी बाद जांच थानाधिकारी बानसूर द्वारा धारा 145 सीआरपीसी न्यायालय में पेश किया। परिवाद के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में दो राजस्व वाद विक्रम सिंह बनाम छुट्टन व इन्दर सिंह बनाम विक्रम सिंह विचाराधीन है। जिनमें स्थगन जारी किया हुआ है। उक्त इस्तगासे में नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजी पर गेहूं व सरसों की फसल बौ रखी है। जिस कारण मौके पर किसी प्रकार का तनाव व विवाद नहीं होने के कारण उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावें। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी—छोटी तारीख दी जा रही है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्याय करने की

जिला कलक्टर, अलवर

हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा अन्य मुकदमों में स्थगन आदेश होने के बाद भी 145 की कार्यवाही की जा रही है जो कि अप्रार्थी विक्रम सिंह के राजनितिक दबाव के कारण की जा रही है। जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी नं 1, 8, 10 ने बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण वास्तु जवाब बहस प्रा0पत्र मौका रिपोर्ट की आपत्ति पर नियत है। पार्टी सं0 1 व 2 के अधिवक्तागण की सहमति पर नायब तहसीलदार बानसूर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रश्नगत आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जबकि मौका कमिश्नर रिपोर्ट विवादित आराजी को लेकर पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद एवं तनाव होना अंकित किया गया है। दोनों पक्षों में तनाव होने की स्थिति को मध्धेनजर रखते हुए प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशीयां निर्धारित की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की घटना घटित ना हो। प्रा0पत्र 145 (5) सीआरपीसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी है। आदेशिका दिनांक 25.07.2022 में स्वीकार होना सहवन से अंकित हो गया है। जिसे दिनांक 07.09.2022 की आदेशिका में दुरूस्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अपनी सहमती जताई गई है। वकील अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर में विचाराधीन सरकार बनाम विक्रम सिंह को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)